FORM NO. III

AAP-A Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मनिषा सिंघल करेह मुकाम लोहावट

बनाम तहसीलदार लोहावट

110,111,128 LRA एक्ट नं. 41 सन 2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वादी/प्रार्थी/अपीलान्ट ने एक वाद/प्रार्थना पत्र/अपील जरिये वकील अन्तर्गत धारा 110,111/128 LR Act के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जावें। मिसल दिनांक 20/09/23 को पेश हो। सहायक कलेक्टर लोहावट	
पत्रावली पेश हुई। आज श्रीमान A.C.M./S.D.M. साहब दौरे/अवकाश पर है। पक्षों इल्तजा की जाकर पत्रावली तारीख 19/12/23 पेश हो।	
पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप० तहसीलदार लोहावट को स्मरण तामील देकर तामील-शुदा प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। मिसल वास्ते बहस हेतु दिनांक 21/12/23 को पेश हो।	
पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप०। मिसल वास्ते साबिक आदेश मे दिनांक 3/1/24 को पेश हो।	
पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान SDM साहब दौरे अवकाश पर है पेशी इल्तजा की जाकर दिनांक 10/1/24 को पेश हो।	
पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप० अधिवक्ता प्रार्थी ...	

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन व मनन प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट

पीठासीन अधिकारी :— प्रदीप कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 41/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मनिषा सिंघल पत्नी शशांक सिंघल 2. कमला सिंघल पत्नी शिव नारायण अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी 81 प्रथम ए रोड सरदारपुरा जोधपुर जिला जोधपुर।		1. तहसीलदार लोहावट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110,111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :—प्रार्थीगण की ओर से :—अधिवक्ता श्री अशोक कडवासरा

—:: निर्णय ::— दिनांक 10.1.24

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल भीकमकोर के राजस्व ग्राम करनाणियो की ढाणी में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1106/1057 रकबा 4.5005 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1105/1057 रकबा 4.4916 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के कणा माठ खुर्द बुर्द होने एवं सीमांचिन्ह नदारद होने हो गये है निशानात नही होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का विकास कार्य नहीं करवाने में परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण ने अपनी भूमि के सिमांकन कर पत्थर रूपवाने के लिए निवेदन हल्का पटवारी से किया लेकिन हल्का पटवारी ने कहा की पत्थरगदी आदेश के बिना पत्थर नहीं रूपवा सकते है। इसलिए प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है।

यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन की पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में बोई जाने वाली फसल की सुरक्षा नहीं कर पा रही है ओर न ही अपनी भूमि का विकास कार्य करवा पा रही है हर वर्ष बोई जाने वाली फसल को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट कर दि जाती है। जिससे मजबुर विवश होकर प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि में बोई जाने वाली फसल की सुरक्षा के लिए पत्थरगढी करवाये जाने का यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की कणा माठो पर सीमा चिन्ह को चिरस्थाई करवाने के लिए पत्थर गढ़ढी करवाना चाहती है तथा पत्थर गढढी हो जाने से खेत की भुमि का समूचित विकास एवं खेत की सुरक्षा कर सकेगी ओर फसलों को नुकशान से बचाया जा सके और पडौसियांन के बीच अनावश्यक सिमा विवाद उत्पन्न होने से बचने के लिए स्वंय के खेत की कृर्षि भुमि का राजस्व टीम से सीमांकन करवाकर पत्थर गढ़ढी की अधिकारी है और पडौसियान के मध्य सीमाओं को लेकर कोई विवाद ज्यादा नहीं बढे इसलिए सीमाकन व पत्थर गढढी करवाना चाहती है।

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थीगण को भारी आर्थिक हानि हो रही है और प्रार्थीगण की भूमि में बाई फसल पत्थरगढी के अभाव में आवारा पशुओ द्वारा

उप खण्ड अधिकारी
लोहावट ज़िला फलौदी

Scanned with CamScanner

आये दिन नष्ट कर दी जाती है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। ऐसी सम्भावना के मध्य नजर प्रार्थीगण वक्त पैमाइश व पत्थरगढी पुलिस इमदाद उपलब्ध रखवाने के अधिकारी है। इसलिये न्यायहित में पैमाईश टीम का गठन किया जाकर प्रार्थीगण की उक्त भूमि की विधिवत पैमाईश पुलिस इमदाद की मौजूदगी में किये जाने एवं माफिक पैमाईश प्रार्थीगण की भूमि की विधिवत पत्थरगढी करवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लोहावट का नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रथम दृश्टया प्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त भूमि में बोई फसल एंव प्राकृतिक पैदावार की सुरक्षा आवारा जानवरों से स्थायी तारबंदी जाली के अभाव में नही होने के कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है एवं इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है और न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाने है। इसलिए प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकर योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लोहावट को आदेश दिये जाते है कि कि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल भीकमकोर के राजस्व ग्राम करनाणियो की ढाणी में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1106/1057 रकबा 4.5005 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1105/1057 रकबा 4.4916 हैक्टेयर भूमि की सीमाओ का राजस्व टीम गठीत करवाकर,नियमानुसार सीमांकन किया जाकर सीमाज्ञान चिन्हित कर मौके पर आवश्यक होने पर शान्ति व्यवस्था के लिए संबंधित पुलिस थाना से ईमदाद ली जाकर उपरोक्त खसरान की सीमाओं की पत्थरगढी करवायी जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 10.1.24 को सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

प्रदीप कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी लोहावट

उप खण्ड अधिकारी जिला फलोदी

Scanned with CamScanner